

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/
अपर जिला जज कक्ष सं. 3
लखनऊ ।

Ref: 139

सेवा में,

श्रीमान निबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद,
लखनऊ पीठ, लखनऊ ।

द्वारा जनपद न्यायाधीश, लखनऊ ।

विषय:—फौजदारी केस सं. 525/09 सरकार बनाम शिवजीत सिंह उर्फ बन्देश
सिंह अ. सं. 539/08 अं. धारा 376/452/506 भादसं एंव धारा 2/3
उ.प्र. गिरोहबन्द अधिनियम थाना डीह जिला रायबरेली के सम्बन्ध में
आख्या ।

महोदय,

निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र सं.
4600/09 में पारित आदेश दिनांक 3-8-10 द्वारा इस मामले का
निस्तारण यथाशीघ्र और सम्भव हो तो आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के 6
माह के अन्दर करने का निर्देश दिया गया था ।

मेरे द्वारा जनपद लखनऊ में इस न्यायालय में दिनांक 18-4-11 को
पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण किया गया और दिनांक 19-4-11 को यह पत्रावली मेरे
समक्ष पहली बार प्रस्तुत हुई ।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि इस मामले में निर्णय आज दिनांक 19-5-11
को घोषित किया गया ।

आख्या माननीय उच्च न्यायालय को सादर सम्प्रेषित ।

दिनांक 18-5-11

भवदीय

(राजेन्द्र सिंह)

विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/
अपर जिला जज कक्ष सं. 3,
लखनऊ ।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, लखनऊ

पत्रांक: 208/84/98 दिनांक: 20/5/11

प्रसारित

शिवानन्द मिश्र

जनपद न्यायाधीश, लखनऊ

500 जज गैंगेस्टर एक्ट
लखनऊ